In case of recruitment by promotion or deputation, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Officer of the Central Government or State Government or Recognised Research Institutions or Universities or Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Organisations, etc:-(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) five years' regular service in level 3 (Rs.21700-69100) in the pay matrix; or (iii) eight years' regular service in level 2 (Rs.19900-63200) in the pay matrix; (b)possessing the following educational qualification and experience: (i) 12th pass from a recognised Board; and (ii) one year experience in work related to liaisoning with reception or protocol units. **Note 1:-** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2:-** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be 'exceeding fifty six years' as on the closing date of receipt of applications.	Not Applicable	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary

[F. No. 39021/03/2019-Estt.(B)]
RAJBIR SINGH, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2020

सा.का.नि. 63.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और जहां तक **उच्च श्रेणी लिपिक (क्रम संख्या 6)** के पद से संबंधित है, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (समूह 'ग' पद) भर्ती नियमावली, 1980 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवा के अधीन राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) में उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम उच्च श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उच्च श्रेणी लिपिक	52* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अराजपत्रित) अनुसचिवीय	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – 4 (25500 – 81100/- रुपये)	अचयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(i) प्रोन्नति द्वारा 75 प्रतिशत (ii) सीमित विभागीय परीक्षा जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन

प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : (i) अवर स्तर 2 (19900-63200) में ऐसा अवर श्रेणी लिपिक जिसने श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। (ii) सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति के लिए स्तर 2 में अवर श्रेणी लिपिक जिसने श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति/आमेलन:** (i) ऐसे व्यक्ति जो सदृश पद धारण करते हों (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन स्तर 2 (19900-63200) में ऐसा अवर श्रेणी लिपिक जिसने कम से कम पांच वर्ष नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1:** पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमे निम्नलिखित होंगे :-** 1. संयुक्त निदेशक / उप निदेशक, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम – अध्यक्ष 2. उप निदेशक (प्रशासन) में महा स्वास्थ्य निदेशालय/दिल्ली/नई दिल्ली में अवस्थित निदेशालय की अन्य संस्थान - सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम – सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा.सं.1-23/2019-एनवीबीडीसीपी/प्रशासन-I)]

वैद्यनाथ प्रमाद, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 2nd March, 2020

G.S.R .63. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the National Malaria Eradication Programme (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1980 in so far as they relate to the post of **Upper Division Clerk (Sl. No. 6)**, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Upper Division Clerk in the National Vector Borne Disease Control Programme, (NVBDCP), under the Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (i) These rules may be called the Ministry of Health & Family Welfare, National Vector Borne Disease Control Programme, **Upper Division Clerk (Group 'C' Post)** Recruitment Rules, 2020

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and Level in Pay Matrix.**— The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

3. **Method of Recruitment, age-limit, qualifications etc. .**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns (5) to (13) of Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,-

(i) who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living, or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time In this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of Post	Classification	Level in Pay matrix	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Upper Division Clerk	52 * (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C' (Non-Gazetted), Ministerial.	Level - 4 (Rs. 25500-81100)	"Non-Selection"	Not Applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	(i) 75% by promotion; (ii) 25% by promotion through limited departmental test failing which by deputation/ absorption.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades, from which promotion or deputation /absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
(i) **Promotion:** Lower Division Clerk in level 2 (19900-63200) with eight years' regular service in the grade ; (ii) For promotion through Limited Departmental test, Lower Division Clerk of level 2 with five years' regular service in the grade. **Note:–** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation/Absorption: (i) from persons holding analogous posts; or (ii) Lower Division Clerk in the level 2 (19900-63200) with at least five years' regular service under the Central Government or State Government. **Note 1**: The Departmental officers in the feeder grade who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation or contract shall be not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee for promotion:** (i) Joint Director/Deputy Director, National Vector Borne Disease Control Programme -Chairman (ii) Deputy Director (Administration), Directorate General of Health Services /Any other Institution of the Directorate located in Delhi/New Delhi – Member (iii) Administrative Officer, National Vector Borne Disease Control Programme - Member	Not applicable.

[F. No. 1-23/2019/NVBDCP/Admn.-I]
BAIDYANATH PRASAD, Under Secy.